न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–05/2017 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. रामखिलाड़ी पुत्र स्व0 पॉच्या,
2. पप्पू पुत्र स्व0 पॉच्या,
3. रामप्रसाद पुत्र स्व0 पॉच्या जाति चमार निवासीयान ग्राम मेवखेड़ा,
4. धर्मसिंह पुत्र स्व0 श्री चिम्मन,
5. मानसिंह पुत्र स्व0 श्री चिम्मन,
6. विमला पुत्री स्व0 श्री चिम्मन,
7. केसन्ता पुत्री चिम्मन,
8. जुम्मी पत्नि स्व0 श्री चिम्मन जातियान चमार निवासीयान ग्राम बामनीखेड़ा तहसील अलवर जिला अलवर ।

..... अपीलांट्स

बनाम

1. अमीर खां पुत्र सुरजन खां – मृतक
2. समी खां पुत्र अमीर खां,
3. रूस्तम पुत्र अमीर खां,
4. यासीन पुत्र अमीर खां,
5. नसीब खां पुत्र अमीर खां,
6. फजरी पत्नि समी खां जातियान मेव, निवासीयान ग्राम बामनीखेड़ा तहसील अलवर जिला अलवर राज0 हाल निवासीयान ग्राम मूंगस्का, अलवर तहसील व जिला अलवर राज0 ।

..... असल रेस्पो0

7. लालमन पुत्र स्व0 चिम्मन,
8. लल्लूराम पुत्र रामचन्द्र जाति चमार निवासीयान ग्राम बामनीखेड़ा तहसील अलवर जिला अलवर राज0

..... तर0रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री उदयसिंह, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री देवेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक असल रेस्पो0 ।

8/2/18

::: निर्णय :::

दिनांक :–27.08.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण की कब्जे काश्त विवादित आराजी ख0 नं0 834 रकबा 1.77 है0 वाके ग्राम मेवखेड़ा तहसील रामगढ़ जिला अलवर में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त कुल कार्य काश्तकारी में किसी तरह की रूकावट मजाहमत पैदा नहीं करें, वादीगण की फसल बर्बाद ना करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खेड़ी में दिनांक 08.06.2016 को पेश हुई । उभयपक्षकारान लोक अदालत में उपस्थित आये । बाद समझाईश उभयपक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर राज़ीनामा पेश किया । विद्वान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार दि0 08.06.2016 को वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर लिया जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि तहत न्यायालय में चिम्मन, पॉच्या और लल्लू ने 188 आर.टी.एक्ट का दावा पेश किया कि ख0 नं0 834 रकबा 1.77 है0 वो ग्राम मेवखेड़ा में प्रतिवांदीगण मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । दावे के विचाराधीन रहते हुए दि0 12.09.2014 को पॉच्या फौत हो गया जिसका मरम्मत सवाल का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया व दावा जवाब मैं विचाराधीन था । तहत न्यायालय में पत्रावली जवाब मरम्मत सवाल में चल रही थी । उसी समय दूसरा वादी चिम्मन मर जाता है । तहत न्यायालय ने दि0 08.06.2016 को बिना वारिसान को रेकार्ड पर लिये कैम्प कोर्ट में निर्णय कर दिया । राजीनामा पेश किया, का अवलोकन कराया । इसमें पॉच्या की निशानी अंगूठा है । अतः जब पॉच्या मर गया तो पॉच्या के हस्ताक्षर कहां से आये और मृतक पॉच्या की फर्जी अंगूठा निशानी लगाकर तहत न्यायालय ने निर्णय कर दिया । राजीनामा दि0 08.06.2016 का है और पॉच्या की मृत्यु 2016 में ही हो गयी । दावे में बहस में कहा कि वादीगण की यही रीलीफ थी कि रेकार्डेड खातेदार के लिए प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वह विवादित आराजी में मजाहमत नहीं करें और पैमाईश का आदेश कर दिया । मैंने अपील के साथ धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश कर अपील करने की अनुमति चाही है । नल एण्ड वोईड आदेश को निरस्त करें ।

बहस की मैरिट पर अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी के लगती हुई एक आराजी खरीद की । इन्होंने मेरी आराजी का कुछ हिस्सा दबा लिया जिसमें मैंने 183 आर.टी.एक्ट की कार्यवाही की है जिसमें बेदखली का आदेश पारित किया और

 8/27/18

उसमें ये लिखा कि पालना की गई । तहसीलदार मौके पर गये और करीब तीन जरीब अतिक्रमण थी । अतः जब 183 की पालना हो चुकी थी और तहसीलदार द्वारा पैमाईश 183 में कर दी गयी तथा कब्जा दिलाया तो पुनः पैमाईश के आदेश क्यों किये । वह आदेश गलत है । गलत आदेश में इन्हें पाबन्द करना चाहिए था । रेस्पो0 ने पुनः कब्जे की धमकी दी । इसलिए दावा किया गया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया और तहत न्यायालय का आदेश निरस्त करने की इस्तद्दुआ की । उन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.डी. 1983 पेज 328, आर.आर.डी. 1997 पेज 287, आर.आर.डी. 1993 पेज 232, आर.आर.डी. 2003 पेज 421, आर.बी.जे. 2006 पेज 1999 पेश की ।

जवाब में अभिभाषक असल रेस्पो0 का बहस में कथन है कि दावा ख0 नं0 834 रकबा 1.77 है0 के लिए किया है । जब हमें पाबन्द कर दिया तथा आंशिक दावा डिक्री कर दिया तो यह अपील गलत पेश की है । अपीलांट की अपील मैन्टेनेबिल नहीं है । तहत न्यायालय ने तो वादी की शंका को दूर करने के लिए पैमाईश के आदेश दिये हैं । अपीलांट हरिजन हैं तथा रेस्पो0 मेव हैं । अन्य लोग आराजी ख0 नं0 836 को हड़पना चाहते हैं । दावा मृतक के पक्ष में डिक्री हुआ है । तहत न्यायालय में राजीनामा पेश हुआ उसमें पॉच्या भी है । तरतीबी रेस्पो0 अपीलांट के ही है उनके भी हस्ताक्षर हैं । जब मैंने कब्जा किया है तो क्या 188 आर.टी.एक्ट में दावा कर सकते हैं । कब्जा दे दिया, कब्जा दे देंगे, ये लिखने से क्या सिद्ध होता है । 183 बी. के आदेश के खिलाफ मैंने अपील पेश की है । दि0 27.12.2007 की आदेशिका में हमें नहीं सुना गया । बेदखल कर रहे हैं उन्हें सुना जाना चाहिए । हमनें जिला कलक्टर अलवर को पैमाईश के लिए आवेदन किया । जिला कलक्टर ने सैटलमेन्ट को आदेश किया । जब मौके पर गये तो वहां झगड़ा किया । पटवारी हल्का व कानूनगो को लिखा । दि0 24.5.2018 को पुनः पत्थर गढ़ी पुलिस इमदाद से की है । अपीलांट मेरी बोरिंग को हड़पना चाहते हैं । तहत न्यायालय में रेस्पो0 ने ही प्रार्थना पत्र मृतक के लिए पेश किया है । किसने अपील पेश की, वादी की ओर से न तो शपथपत्र है और न ही तस्दीक है । रामखिलाड़ी के हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं है, वकील नहीं है । मैं अकेला हूं, ये 50 घर हैं, फिर भी मैं पैमाईश के लिए तैयार हूं । तहत न्यायालय का निर्णय सही है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

जवाबुल जवाब में अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि मृतक के विरूद्ध निर्णय है, उसका जवाब रेस्पो0 ने नहीं दिया । रेस्पो0 ने आऊट ऑफ प्लीडिंग और आऊट ऑफ रेकार्ड बहस की है । क्या सैटलमेन्ट के मामले में हमें सुना, क्या हमें बुलाया गया। प्रशासनिक आदेश की कोई अहमियत नहीं है । क्या मृतक के वारिसान के हितों का हनन हो सकता है । क्या 183 का आदेश सैटएसाईट हुआ है । 183 आर.टी.एक्ट में तामील हुई तथा उपस्थित नहीं हुए । इसलिए तहत न्यायालय का आदेश विधिसम्मत नहीं है और अपील अपीलांट स्वीकार की जावें ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2016 का अवलोकन किया तथा पेश कानूनी नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया ।

अपीलांट की अपील तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.06.2016 के विरूद्ध इस आशय के साथ पेश किया है कि दौराने दावा पक्षकारान फौत हो गये तथा उनके वारिसान को रेकार्ड पर नहीं लिया और निर्णय पारित कर दिया । साथ ही 188 की रीलीफ चाही थी और पैमाईश के आदेश कर दिये । मृतक राजीनामा के आधार पर उपस्थित दिखाया जबकि अपीलांट का कथन है कि पक्षकांर पॉच्या निर्णय से पूर्व ही फौत हो गया तो कैम्प कोर्ट में पॉच्या के फर्जी हस्ताक्षर कराये गये । इस पर रेस्पोडेन्ट अभिभाषक ने कोई जवाब नहीं दिया । इसलिए अपील अपीलांट उक्त विवेचन के आधर पर काबिल स्वीकार के है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2016 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्ष के मृतक पक्षकारान के वारिसान को रेकार्ड पर लेवें तथा अपीलांट की पूर्व पैमाईश के आधार पर चाही गयी रीलीफ पर धारा 183 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत विवेचन करते हुए उभयपक्षों को पुनः सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे तहत न्यायालय में दि0 28.09.2018 को उपस्थित हो ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/8/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर